प्रश्नः चीन के संवैधानिक ढांचे और वहां की राजनीतिक शक्ति के केंद्र का वर्णन कीजिए।

1. परिचय

चीन (जनवादी गणराज्य चीन - PRC) में **1982 का संविधान** लागू है, जिसमें समय-समय पर महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। चीनी संविधान के अनुसार, चीन "जनता के लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य" है। यहाँ की पूरी व्यवस्था **'लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद' (Democratic Centralism)** के सिद्धांत पर टिकी है, जिसका अर्थ है— "चर्चा के स्तर पर लोकतंत्र, लेकिन निर्णय के स्तर पर पूर्ण केंद्रीय नियंत्रण।"

2. संवैधानिक ढांचा: प्रमुख अंग

चीनी शासन प्रणाली में मुख्य रूप से तीन अंग दिखाई देते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र नहीं हैं:

(क) नेशनल पीपल्स कांग्रेस (NPC):

- यह चीन की संसद है और इसे संविधान में **'राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग'** कहा गया है।
- यह एक-सदनीय (Unicameral) विधायिका है, जिसमें लगभग 3,000 सदस्य होते हैं।
- **कार्य:** कानून बनाना, संविधान में संशोधन करना और राष्ट्रपति व राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव करना। हालांकि, व्यवहार में यह केवल कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णयों पर मुहर लगाने वाली संस्था मानी जाती है।

(ख) राष्ट्रपति (President):

- राष्ट्रपति चीन का राष्ट्राध्यक्ष (Head of State) होता है।
- 2018 के संवैधानिक संशोधन के बाद, राष्ट्रपति के कार्यकाल की **दो कार्यकाल (10 वर्ष) की सीमा को हटा दिया गया है**, जिससे वर्तमान नेता (शी जिनपिंग) अनिश्चित काल तक पद पर बने रह सकते हैं।

(ग) राज्य परिषद (State Council):

- यह चीन की 'कैबिनेट' या कार्यपालिका है।
- इसका प्रमुख **प्रधानमंत्री (Premier)** होता है। यह परिषद सरकारी प्रशासन और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है।

3. राजनीतिक शक्ति का असली केंद्र: चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC)

चीन में संविधान से भी ऊपर **चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC)** है। चीन का संविधान स्वयं यह स्वीकार करता है कि "चीन का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में है।" शक्ति का वास्तविक पिरामिड नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार है:

पद/संस्था	शक्ति का स्तर	विवरण
महासचिव (General Secretary)	**सर्वोच्च**	पार्टी का मुखिया और चीन का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति।
पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी	**अत्यंत शक्तिशाली**	इसमें 7 से 9 सबसे वरिष्ठ नेता होते हैं जो देश के बड़े फैसले लेते हैं।
पोलित ब्यूरो	**उच्च**	इसमें लगभग 25 सदस्य होते हैं जो नीति निर्धारण करते हैं।
केंद्रीय समिति (Central Committee)	**मध्यम**	लगभग 300-400 सदस्यों वाली यह समिति पार्टी की बड़ी बैठकों का आयोजन करती है।

4. शक्ति का "त्रिकोण" (The Power Trinity)

चीन में शक्ति एक ही व्यक्ति में केंद्रित होती है, जो एक साथ तीन प्रमुख पदों को संभालता है:

1. **पार्टी का महासचिव:** (पार्टी पर नियंत्रण)
2. **केंद्रीय सैन्य आयोग (CMC) का अध्यक्ष:** (सेना यानी PLA पर नियंत्रण)

3. **देश का राष्ट्रपति:** (सरकार और कूटनीति पर नियंत्रण)

5. चीनी राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ

- **एक-दलीय व्यवस्था:** चीन में केवल एक ही दल (CPC) का प्रभुत्व है। अन्य छोटे दल केवल नाममात्र के हैं और वे CPC के अधीन कार्य करते हैं।
- **शक्तियों के पृथक्करण का अभाव:** भारत या अमेरिका की तरह यहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक-दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं; सभी पार्टी के प्रति जवाबदेह हैं।
- **न्यायपालिका पर नियंत्रण:** चीन में अदालतें स्वतंत्र नहीं हैं, वे कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देशों का पालन करती हैं।

निष्कर्ष

संक्षेप में, चीन का संवैधानिक ढांचा केवल एक औपचारिक रूपरेखा है, जबकि शक्ति का वास्तविक केंद्र **चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC)** और उसका **महासचिव** है। यहाँ 'कानून का शासन' (Rule of Law) नहीं, बल्कि 'कानून के माध्यम से शासन' (Rule by Law) की व्यवस्था है, जहाँ संविधान का उपयोग पार्टी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।